संख्या-17/2020/885/86-2019-290/2011

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 28 फरवरी, 2020

विषयः-भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधीन अस्थायी रूप से सृजित ज्येष्ठ खान अधिकारी के 04 पदों, खान अधिकारी के 22 पदों एवं खान निरीक्षक के 29 पदों की वित्तीय वर्ष 2019- 2020 की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-100/ई-50/2011, दिनांक 11.04.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-482/86-2014-290/2011, दिनांक 11.04.2014 द्वारा निम्न विवरणानुसार सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-462/86-2018-290/2011, दिनांक 29.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 द्वारा दिनांक 28.02.2019 तक बढ़ायी गयी थी, को वित्तीय वर्ष-2019-20 में दिनांक 28.02.2020 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	पद	पे बैण्ड (रू)	ग्रेड वेतन (रू)	सृजित अस्थायी पदों की संख्या
1	ज्येष्ठ खान अधिकारी	15600-39100	6600	04
2	खान अधिकारी	15600-39100	5400	22
3	खान निरीक्षक	9300-34800	5400	29

3. उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -4 के लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना" के अन्तर्गत संगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः 885(1)/86-2019 , तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक वित्तीय एवं साख्यिकी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in